

19-11-2023

फावली पेश हुई। वकील प्रो. श्री
डा. प्रमोद से सम्बन्धित मुल का
वक अस्तित्व रूप से निहाराय हो
पुका है। ऐसी स्थिति में प्रो
का बीआई पर कलम से निर्णय
की आवश्यकता नहीं है। अतः
बीआई प्रार्थना - फा. प्रो. का
चलाये जाने का कन कोई भी क्विज
नहीं है। अतः प्रार्थना का प्रार्थना -
फा. बीआई इसी तरह पर शकित
विषय जाता है। फा. वकील प्रो. का
शुभर होकर नभर से कद हो।
वकील प्रमोद है।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दीसा (राज.)

